



.. नस्द्री सं. डी. एल.-33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L -33002/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 60] No. 60]

दिल्ली, शुक्रवार, अंप्रैल 11, 2008/चैत्र 22, 1930 DELHI, FRIDAY, APRIL11, 2008/CHAITRA 22, 1930 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 011 [N.C.T.D. No. 011

माग--[[

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग अधिसूचनाएँ

दिल्ली, 11 अप्रैंल, 2008

सं. फा. 4/2/2006/एन.डी.एम.सी./6681.—नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के दिनांक 15 दिसम्बर, 2005 के संकल्प संख्या 10(एफ-2) के अनुसार नई दिल्ली नगर परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 98 के साथ पित धारा 388 की उप-धारा (1) में ''कराधान से संबंधित उपविधियां'' शीर्षक के अधीन नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् द्वारा बनाई गयी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् द्वारा बनाई गयी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (संपत्ति कर का पुगतान) उपविधियां, 2008.नामक निम्निलिखित उपविधियां पूर्व प्रकाशन के उपरान्त तथा उक्त अधिनियम की धारा 391 की अपेक्षा अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से इसके द्वारा आम जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है, अर्थात् :—

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.—(1) इन उपविधियों को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (सम्पत्ति कर का मुगतान) उपविधियाँ, 2008 कहा जाए।
 - (2) यह 01 अप्रैल, 2008 से लागू होंगे।
- 2. परिभाषाएं —(1) इन उपविधियों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो (क) 'अधिनियम' का अर्थ है नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44);
 - (ख) 'धारा' का अर्थ है. -अधितियम की धारा।
- (2) यहाँ प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ जो परिमाषित नहीं हैं लेकिन अधिनियम में परिमाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

3. अग्रिम रूप से भुगतान योग्य सम्पत्ति कर.—अधिनियम में उपबंधित अन्यथा के अतिरिक्त सम्पत्ति कर उस तारीख से प्रत्येक वर्ष के संबंध में भुगतान योग्य होगा जिससे धारा 70 की उप-धारा (6) के अधीन कर निर्धारण सूची प्रमाणित है।

उपबंध है कि अध्यक्ष सार्वजनिक सूचना द्वारा लगमग समान राशि की तीन किस्तों से अधिक में सम्पत्ति कर के भुगतान की अनुमति दे सकता है।

- 4. एक सम्पत्ति के लिए एक बिल जारी किया जाए.— सामान्यत: प्रत्येक सम्पत्ति के लिए पृथक बिल मेजा जाएगा तथापि यदि कोई व्यक्ति जिसके पास एक से अधिक संपत्ति है तथा वह ऐसी समस्त संपत्तियों के एक समेकित बिल का अनुगेध करता है तो उस स्थिति में अध्यक्ष उसे ऐसी समस्त संपत्तियों के लिए एक समेकित
- 5. बिल में कर का बकाया.—संपत्ति के संबंध में देय कोई मी बकाया चालू वर्ष के लिए बिल में साधारण रूप से सम्मिलित किया जाएगा लेकिन उन्हें इस प्रकार सम्मिलित नहीं किया जाता तो अध्यक्ष उसकी वसूली करने के लिए बाधित नहीं होगा।
- 6. वह तारीख जिसके द्वारा संपत्ति कर का भुगतान किया जाना है. संपत्ति कर का भुगतान बिल प्रस्तुत करने के 15 दिनों के अन्दर किया जाएगा, जहां बिल 500/– रुपये से अधिक राशि का है वहां भुगतान अकाउंट पेई चैक या ड्राफ्ट "नई दिल्ली नगर पालिका परिषद" के पक्ष में देथ होगा।
- 7. संपत्ति कर का भुगतान जहां किया जाना है. –कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, वह परिषद् के मुख्यालय में भुगतान करेगा अर्थात् पालिका केन्द्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली अथवा अन्य कोई स्थान जो अध्यक्ष द्वारा यथाविनिर्दिष्ट हो, पर करेगा।

- 8. किसी विशेष वर्ष के लिए बिल बढ़े हुए कर के उत्तरदायित्व को प्रभावित नहीं करेगा.—िकसी विशेष वर्ष के लिए जारी कोई बिल किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार बढ़े हुए बिल की जिम्मेदारी को प्रभावित नहीं करेगा जो धारा 72 के अधीन कर निर्धारण सूची के संशोधन के कारण अथवा धारा 97 के अधीन अनुपूरक कराधान के माध्यम से किया जा सकता है।
- 9. निर्धारण सूची में संशोधन पर अथवा अनुपूरक कराधान के मामले में बढ़े हुए संपत्ति कर का भुगतान कर निर्धारण सूची में किसी संशोधन के कारण संपत्ति कर में किसी प्रकार की वृद्धि उस तारीख को भुगतान योग्य होगी जिस तारीख को घारा 72 के अधीन कर निर्धारण सूची संशोधित की गई है ।
- 10. कुछ घटनाओं में बकाया की किस्तें.—यदि बकाया की मांग संपत्ति कर या संपत्ति कर में वृद्धि से संबंधित है तो चालू वर्ष के अतिरिक्त दो से अधिक वर्षों के लिए उगाही गई है तथा कर निर्धारण सूची में संशोधन में विलम्ब संपत्ति कर के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी व्यक्ति के कारण नहीं होगा, इस संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर अध्यक्ष स्वविवेक पर जहां उचित समझे मासिक या तिमाही किस्तों में बकाया के मुगतान की अनुमति दे सकता है ताकि कम से कम दो वर्षों का बकाया तथा चालू वर्ष की मांग एक वर्ष में की जा सके।
- 11. संपत्ति कर के भुगतान में विलम्ब.—जहां संपृत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी व्यक्ति संपृत्ति कर के भुगतान के आस्थगन के लिए आवेदन करता है अध्यक्ष, जैसा उचित समझे उन शतों पर कर का भुगतान आस्थगित कर सकता है।
- 12. मांग तथा संग्रहण रिजस्टर.—अध्यक्ष, मांग, संग्रहण, समायोजन, बकाया, छूट तथा रिफंड, अतिरेक वसूली तथा समय-समय पर यथावश्यक संपत्ति के संबंध में अन्य विवरण दशांते हुए एक उपयुक्त रिजस्टर रखेगा ।
- 13. विवादास्पद संपत्ति कर जो कि वसूली नहीं की जाती जब आदेश रद्द किया गया हो या अपील पर वापिस किया गया हो.—जहां किसी दर योग्य मूल्य के संबंध में आदेश रद्द किया जाता है अथवा अपील में वापस किया जाता है, ऐसी संपित्त के संबंध में संपित्त कर बिल न्यायालय द्वारा वापस किए दर योग्य मूल्य पर जारी रहेंगे, लेकिन विवादास्पद कर की राशि कर योग्य मूल्य के पुन: निश्चित होने तक वसूल नहीं की जाएगी।
- 14. अपील पर अतिरेक संपत्ति कर की वापसी.—जहां कर योग्य मूल्य के संबंध में कोई आदेश धारा 118 के अधीन अपील में आशोधित किया गया हो तथा आदेश को परिषद् द्वारा चुनौती न दी गई हो, परिषद् द्वारा अपीलीय आदेश की प्राप्ति के छह माह के अन्दर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी तथा अतिरेक राशि, यदि कोई हो तो, उसे किसी अन्य वर्ष के लिए संपत्ति कर में समायोजित किया जाएगा, जिसके लिए कर देय है तथा यदि किसी प्रकार का बकाया हो तो वापस किया जाएगा।
- 15. संपत्ति कर का भुगतान अवैध निर्माण पर वैध नहीं होगा.—संपत्ति कर के भुगतान या बिल प्रस्तुतीकरण अप्राधिकृत व्यवसाय या अनिधकृत निर्माण पर वैध नहीं होगा तथा ऐसा बिल या प्राप्ति, जैसी भी स्थिति हो, संपत्ति कर के भुगतान करने वाले या प्राप्ति, जैसी भी स्थित हो, संपत्ति कर के भुगतान करने वाले या किसी अन्य व्यक्ति पर बाद की तारीख पर अनिधकृत निर्माण को वैधता का दावा करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं करता तथा बिल का प्रस्तुतीकरण अथवा कर का संग्रहण किसी भी प्राधिकरण की परिषद् के अधिकार की प्रतिकृतता के बिना है। अनिधकृत व्यवसाय को खाली कराने के लिए की जाने वाली कार्यवाही करने अथवा ऐसे अनिधकृत निर्माण अथवा हाँचे के संबंध में तोड़फोड़ करने के लिए किसी प्राधिकरण की परिषद् के अधिकार की प्रतिकृतता के बिना है।

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 11th April, 2008

F. No. 4/2/2006/UD/NDMC/6681.—The following Bye-laws entitled the New Delhi Municipal Council (Payment of Property Tax) Bye-Laws, 2008 made by the New Delhi Municipal Council under the head "A. Bye-laws relating to taxation" in sub-section (1) of section 388 read with section 98 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), vide Council's resolution No. 10 (F-2) dated the 15th December, 2005, after Previous and with the prior approval of the Government of National Capital Territory of Delhi, are required under Section 391 of the said Act, are hereby published for general information, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These Bye laws may be called the New Delhi Municipal Council (Payment of Property Tax) Bye laws, 2008.
 - (2) They shall come into force from 1st April, 2008.
- 2. Definitions:—(1) In these Bye-laws, unless context otherwise requires—
 - (a) "Act" means the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994);
 - (b) "section" means a section of the Act.
- (2) Words and expressions used herein and but not defined and defined in the Act, shall, have the meaning assigned to them in the Act.
- 3. Property tax payable in advance.—Save as otherwise provided in the Act, property tax shall be payable in respect of each year on the date on which the assessment list is authenticated under sub-section (6) of Section 70:

Provided that the Chairperson may by public notice allow payment of property tax in not more than three installments of nearly equal amounts.

- 4. One bill to be issued for one property.—
 Normally, a separate bill shall be sent for each property.
 However, in case a person who owns more than one property requests for a consolidated bill of all such properties, the Chairperson may send to him a consolidated bill for all such properties.
- 5. Arrears of tax in the bill.—The arrears, if any due in respect of any property shall ordinarily be included in the bill for the current year, but if they are not so included, the Chairperson shall not be precluded from recovering the same.
- 6. Date by which payment of property tax to be made.—The payment of the property tax shall be made within fifteen days of presentation of the bill. Where the bill is for an amount above five hundred rupees, the payment shall be made by an accounts payee cheque or draft drawn in favour of the "New Delhi Municipal Council".
- 7. Payment of property tax where to be made.— Every person who is liable to pay the property tax shall pay the same at the Head Office of the Council, namely Palika Kendra, Sansad Marg, New Delhi or at such other place as may be specified by the Chairperson.
- 8. Bill for a particular year shall not affect liability of increased tax.—Any bill issued for a particular year shall not affect the liability of a person to any increased tax, which may be assessed owing to amendment of the

(37

assessment list under Section 72 or through supplementary taxation under Section 97.

- 9. Payment of increased property tax on amendment in the assessment list or in case of supplementary taxation.—Any increase in the property tax by way of an amendment in the assessment list shall be payable on the date on which the assessment list is amended under Section 72.
- 10. Installments of arrears in certain eventualities.— If the demand of arrears pertains to property tax or increase of property tax, other than the current year, is raised for more than two years and the delay in amendment in the assessment list is not attributable to the person primarily liable for property tax, on an application made by such person in this behalf, the Chairperson may, in his discretion, allow payment of the arrears in monthly or quarterly installments, as deemed fit, so that at least two years arrears and current year's demand is paid in a year.
- 11. Delay in payment of property tax.—Where the person primarily liable for payment of property tax, makes an application to defer the payment of property tax, the Chairperson may defer the payment of the tax on such condition, as he may deem fit.
- 12. Demand and collection register.—The Chairperson shall maintain a register in a suitable form showing the demand, collection, adjustments, arrears, remissions and refunds, excess recoveries and such other particulars in relation to property tax, as may be necessary, from time to time.
- 13. Property tax in dispute not to be recovered when order set aside or remanded in appeal.—Where an order in respect of any rateable value has been set aside or remanded in appeal, the property tax bill in respect of such property shall continue to be issued on the rateable value remanded by the court but the amount of tax in dispute shall not be recovered unless the rateable value is re-fixed.
- Where an order in respect of any rateable value has been modified in appeal under Section 118 and the order has not been challenged by the Council, necessary action shall be taken by the Council within six months of the receipt of the appellate order and excess amount, if any, shall be adjusted against property tax for any other year for which the tax is due and the balance, if any, be refunded.
- 15. Payment of property tax not to validate unauthorized construction.—The presentation of a bill or payment of property tax shall not validate an unauthorized occupation or unauthorized construction and such a bill or receipt, as the case may be, shall not confer any right on the person paying the property tax or anyone else to claim validation of unauthorized

construction at a later date and that presentation of bill or collection of tax is without prejudice to the right of the Council of any other authority to take any action to get vacated the unauthorized occupation or cause demolition in respect of such unauthorized construction or structure.

(37) (He

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

R.P.S. BHATIA, Dy. Secy.